[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT FOOD & SUPPLIES DEPARTMENT

Notification :

The 11th November, 2014

No. G.S.R. 50/Const./Art.309/2014.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Food and Supplies Department Directorate (Group-C) Service Rules, 1982, namely:—

(Group-C) Service Rules, 1982, namely:—

1. These rules may be called the Haryana Food and Supplies Department Directorate (Group-C) Service (Amendment) Rules, 2014.

2. In the Haryana Food and Supplies Department Directorate (Group-C) Service Rules, 1982, in Appendix B, under columns 3 and 4, for existing entries against serial number 9, the following entries shall be substituted, namely:—

	3	4
w/"\		(3)
"(i)	Matric;	(i) Matric;
(ii)	Should have a light/heavy valid Driving	(ii) Three years experience as Class-III/IV
	License, atleast three years old;	posts;
(iii)	Should have passed the driving test,	(iii) Should have a light/heavy valid
` '	conducted by the Haryana Staff Selection	Driving License as the case may be
	Commission;	atleast three years old;
(iv)	Should not be colour blind;	(iv) Should have passed the driving test,
(v)	Hindi/Sanskrit upto Matric standard or	conducted by the department;
	Higher education;	(v) Should not be colour blind;
		(vi) Should not be more than 50 years o
*		age;
	my and the second secon	
		(vii) Hindi or Sanskrit upto Matric standard
		or Higher education; ".

HARDEEP KUMAR,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Food and Supplies Department.

52784"-C.S.-H.G.P., Chd.

हरियाणा सरकार खाद्य तथा पूर्ति विमाग किल्ला अधिसूचना किल्ला दिनांक 11 नवम्बर, 2014 किल्ला

संख्या सा॰का॰नि॰ 50/संवि॰/अनु॰ 309/2014.-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा खाद्य तथा पूर्ति विभाग निदेशालय (ग्रुप-ग) सेवा नियम, 1982, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:
 1. ये नियम हरियाणा खाद्य तथा पूर्ति विभाग निदेशालय (ग्रुप-ग), सेवा (संशोधन)
 नियम, 2014, कहे जा सकते हैं:-
- 2. हरियाणा खाद्य तथा पूर्ति विभाग निदेशालय (ग्रुप-ग) सेवा नियम, 1982 में परिशिष्ट ख में, खाना 3 तथा 4 के नीचे, कम संख्या 9 के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

	3	W NEW				SHIP OF AN
"(i)	मैट्रिक ;			(i)	मैद्रिक;	W.
(ii)	कम-से-कम 3 वर्ष	पुरानी	वैध	(ii)	श्रेणी III/IV पदों पर त	तीन वर्ष का
	हल्का/भारी वाहन चालन	अनुज्ञप्ति	होनी		अनुभवः	
	चाहिए;			(iii)	कम-से-कम 3 वर्ष	पुरानी वैध
(iii)	हरियाणा कर्मचारी चयन	आयोग	द्वारा		हल्का/भारी वाहन चालन अ	मनुज्ञप्ति, जैसी
	आयोजित चालन परीक्षा पासै		100100	भी स्थिति हो, होनी चाहिए	;	
	होनी चाहिए ;	Antoni		(iv)	विभाग द्वारा आयोजित व	वालन परीक्षा
(iv)	वर्णान्ध नहीं होना चाहिए;		'		पास होनी चाहिए;	
(v)	मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर	शिक्षा	में .	(v)	वर्णान्ध नहीं होना चाहिए;	
	हिन्दी/संस्कृत;	1.	F	(vi)	पचास वर्ष से अधिक व	भी आयु का
		200			नहीं होना चाहिए;	
				(vii)	मैट्रिक स्तर तक या उच्च	तर शिक्षा में
				1	.हिन्दी/संस्कृत; "।	

हरदीप कुमार, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, खाद्य तथा पूर्ति विभाग ।